

प्रथम प्रश्न-पत्र (अनिवार्य)– सामान्य प्रश्न-पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude) वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्न 50 (पचास) होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 (सौ) अंकों का होगा।
द्वितीय प्रश्न-पत्र (ऐच्छिक)– यह प्रश्न पत्र चयनित विषय का होगा। इसमें कुल 100 (सौ) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 (दो सौ) अंकों का होगा।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	परीक्षा अवधि
प्रथम (अनिवार्य)	50 प्रश्न, सभी अनिवार्य	100	03 घंटे (180 मिनट)
द्वितीय (ऐच्छिक)	100 प्रश्न, सभी अनिवार्य	200	

G. प्रश्न पत्र का माध्यम

1. प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा।
2. भाषा विषय का प्रश्न-पत्र संबंधित भाषा में होगा।
3. प्रश्न-पत्र में संरचना व अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिन्दी में लिखे प्रश्न को ही वरीयता दी जाएगी।

H. अंकन योजना

1. प्रत्येक प्रश्न के लिए 02 (दो) अंक होंगे।
2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 02 (दो) अंक प्राप्त होंगे।
3. ऋणात्मक मूल्यांकन (No Negative Marks) नहीं किया जाएगा।
4. अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही विकल्प उत्तर के तौर पर चुनना है।
5. किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।
6. एकाधिक उत्तर वाले प्रश्नों की स्थिति में उन अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने किसी भी सही उत्तर को चयन किया है।
7. अगर किसी प्रश्न को विलोपित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को दो अंक (02) प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें।
8. अर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सभी वर्गों/वर्गों की श्रेणीवार गुणानुक्रम सूची में अंतिम अर्ह अभ्यर्थी के प्राप्तांक (Cut off) के समान अंक पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भी अर्ह सूची में शामिल किया जाएगा।

I. परीक्षा के विषय, सह-विषय एवं कोड

यू.जी.सी. नेट व सी.एस.आई.आर. नेट के विषयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्र. 1093/104/सी.सी./22/38, दिनांक 23.12.2022, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 1-2/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 07.03.2024, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 1-2/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 27.11.2024 एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 1-2/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 26.09.2025 के अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा के विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची अनुमोदित हैं—

स.क्र.	प्रश्न पत्र	विषय कोड
	(अनिवार्य प्रथम प्रश्न-पत्र)	General Paper on Teaching & Research Aptitude सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति
	(ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न-पत्र)	स्नातकोत्तर स्तर के विषय
01	Chemical Sciences (रसायन विज्ञान)	Chemistry (रसायन शास्त्र) Organic Chemistry (कार्बनिक रसायन शास्त्र) Physical Chemistry (भौतिक रसायन शास्त्र) Applied Chemistry (व्यावहारिक रसायन शास्त्र)

		Environmental Chemistry (पर्यावरण रसायन शास्त्र) Pharmaceutical Chemistry (फार्मास्युटिल रसायन शास्त्र) Inorganic Chemistry (अकार्बनिक रसायन शास्त्र) Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायन शास्त्र) Analytical Chemistry (विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र)	
02	Commerce (वाणिज्य)	Commerce (वाणिज्य)	02
03	Computer Science & Applications (संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग)	Computer Science (संगणक विज्ञान)	03
04	Criminology (अपराध विज्ञान)	Criminology (अपराध विज्ञान)	04
05	Defence and Strategic Studies (रक्षा और र्नातेजिक अध्ययन)	Millitary Science (सैन्य विज्ञान)	05
06	Economics (अर्थशास्त्र)	Economics (अर्थशास्त्र) Master of Business Economics (एम.बी.ई.) Applied Economics (व्यावहारिक अर्थशास्त्र) MBA Business Economics (एम.बी.ए. व्यावसायिक अर्थशास्त्र)	06
07	English (अंग्रेजी)	English (अंग्रेजी)	07
08	Earth, Atmospheric, Ocean and Planetary Science (पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान)	Geology (भूगर्भ शास्त्र) Applied Geology (व्यावहारिक भूगर्भ शास्त्र) Planetary (प्लेनेटरी) Geophysics (जियोफिजिक्स) Earth Science (भू-विज्ञान) Remote Sensing (रिमोट सेंसिंग)	08
09	Geography (भूगोल)	Geography (भूगोल)	09
10	Hindi (हिन्दी)	Hindi (हिन्दी) Linguistics (भाषा विज्ञान)	10
11	History (इतिहास)	History (इतिहास) Modern History (आधुनिक इतिहास) Medeval History (मध्यकालीन इतिहास) Ancient History (प्राचीन इतिहास)	11
12	Home Science (गृह विज्ञान)	Home Science (गृह विज्ञान)	12
13	Law (विधि)	Law (विधि)	13
14	Library and Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	Library Science (पुस्तकालय विज्ञान) Library and Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	14
15	Life Science (जीव विज्ञान)	Botany (वनस्पति शास्त्र) Zoology (प्राणी शास्त्र) Bio Chemistry (जैव रसायन) Micro Biology (सूक्ष्म जीव विज्ञान) Biotechnology (जैवप्रौद्योगिकी) Bio Science (जैव विज्ञान) Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान) Bioinformatic Science (बायो इंफरमेटिक्स साइंस) Fisheries (मत्स्य विज्ञान) Aquaculture (मत्स्य पालन) Limnology (सरोविज्ञान) Entomology (कीट विज्ञान)	15

		Genetics (आनुवांशिकी) Genetic Engineering (आनुवांशिकी यांत्रिकी) Life Science (जीव विज्ञान) Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान) Seed Technology (बीज तकनीकी)	
16	Management (प्रबंधन)	Management (प्रबंधन) (including Business Admn. Mgt./Marketing/ Marketing Mgt./Industrial Relations and Personnel Mgt./ Personnel Mgt./Financial Mgt./Co- operative Management.	16
17	Marathi (मराठी)	Marathi (मराठी)	17
18	Mathematical Sciences (गणितीय विज्ञान)	Mathematics (गणित) Computational Mathematics (संगणन गणित) Applied Mathematics (व्यावहारिक गणित) Industrial Mathematics (औद्योगिक गणित) Mathematical Science(गणितीय विज्ञान)	18
19	Music (संगीत)	Music (संगीत) Music Instrument (संगीत वादन) Music Vocal (संगीत गायन)	19
20	Performing Arts (कलामंच)	Dance (नृत्य)	20
21	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	21
22	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	22
23	Physical Science (भौतिक विज्ञान)	Physics (भौतिक) Applied Physics (व्यावहारिक भौतिकी) Material Science (पदार्थ विज्ञान) Electronics (इलेक्ट्रॉनिक्स)	23
24	Political Science (राजनीति विज्ञान)	Political Science (राजनीति विज्ञान) Public Administration (लोक प्रशासन) International Relation (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	24
25	Psychology (मनोविज्ञान)	Psychology (मनोविज्ञान) Clinical Psychology (चिकित्सकीय मनोविज्ञान) Applied Psychology (व्यावहारिक मनोविज्ञान)	25
26	Sanskrit (संस्कृत)	Sanskrit (संस्कृत)	26
27	Sanskrit Traditional Subjects (संस्कृत परंपरागत विषय)	Sanskrit Astrology (संस्कृत ज्योतिष) Sanskrit Oriental (संस्कृत प्राच्य) Sanskrit Literature (संस्कृत साहित्य) Sanskrit Grammer (संस्कृत व्याकरण) Sanskrit Literature Oriental (संस्कृत साहित्य प्राच्य) (धर्मशास्त्र)	27
28	Sociology (समाज शास्त्र)	Sociology (समाज शास्त्र) Anthropology (मानव शास्त्र) Social Work (सामाजिक कार्य)	28
29	Urdu (उर्दू)	Urdu (उर्दू)	29
30	Visual Arts (विजुअल आर्ट्स)	Drawing and Painting (चित्रकला)	30
31	Yoga (योग)	Yoga (योग)	31

J. मान्य स्नातकोत्तर उपाधियों की सूची

1.	Master of Commerce (M.com.)	6.	Master of Science (M.Sc.)	11.	Master of Physical Education (M.P.Ed.)
2.	Master of Library Science (M.Lib.sc.)	7.	Master of Statistics (M.Stat.)		
3.	Master of Literature (M.Litt.)	8.	Master of Arts (M.A.)	12.	Master of Physical Education & Sports Science (MPES)
4.	Master of Computer Application (M.C.A.)	9.	Acharya (Sanskrit Traditional)		
5.	Integrated BS-MS	10.	Master of Law (LLM)		

K. परीक्षा के प्रस्तावित कोड एवं शहर

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
1	इन्दौर	4	जबलपुर	7	सागर	10	शहडोल
2	भोपाल	5	रीवा	8	उज्जैन	11	खरगोन
3	ग्वालियर	6	सतना	9	नर्मदापुरम	12	रतलाम

L. शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

- ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक परीक्षा शहर सावधानीपूर्व चुने। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से परीक्षा शहरों/केन्द्रों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।
- आवेदक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित शहर में से उसकी अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम चार शहर चुन सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाए।
- आयोग के प्रशासनिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से भिन्न शहर आवंटित कर सकता है तथा शहरों की संख्या कम या अधिक कर सकता है या परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- आयोग द्वारा आवंटित केन्द्र/शहर के परिवर्तन के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा आवंटित केन्द्र का एक दिन पूर्व अवलोकन करना उचित होगा।
- मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संचालन की सुविधा अनुसार केन्द्र का आवंटन अंतिम रूप से आयोग द्वारा निर्धारित होंगे। परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गए विकल्प शहर के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नंबर प्रदाय किए जाएंगे।

M. पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश

- प्रश्न-पत्र पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतया वस्तुनिष्ठ (Objective Type Question) प्रकार का होगा। जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न-सुमेलित, सत्य/असत्य, कथन-कारण का प्रकार के (Multiple Choice Question : Matching, True/False, Assertion Reasoning Type) होंगे।
- Erath, Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences, Chemical Sciences, Life Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, विषय के परीक्षा प्रारूप भी यू.जी.सी. नेट परीक्षा प्रारूप के अनुसार रहेगा। सी.एस.आई.आर. के निर्देशानुसार Mathematical Sciences के पाठ्यक्रम में 4 इकाई है जो गणित एवं सांख्यिकी विषय के अभ्यर्थी के लिए इकाई अनुसार विभाजित है। इकाई प्रथम गणित और सांख्यिकी के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है और इकाई द्वितीय व तृतीय गणित विषय तथा इकाई चतुर्थ सांख्यिकी के अभ्यर्थियों के लिए रहेगी।
- विषयों के पाठ्यक्रम यू.जी.सी. व सी.एस.आई.आर. नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार है।
- पाठ्यक्रम संबंधी समस्त निर्देश आवेदकों को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे।

S.N.	Name of Subject	Syllabus in Available Languages	
		English	Hindi
00	प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) General Paper on Teaching & Research Aptitude	English	Hindi
	द्वितीय प्रश्न पत्र (ऐच्छिक)		
1	Chemical Sciences	English	
2	Commerce	English	Hindi
3	Computer Science & Applications	English	
4	Criminology	English	Hindi
5	Defence and (strategic) studies	English	Hindi
6	Economics	English	Hindi
7	English	English	
8	Erath, Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences	English	
9	Geography	English	Hindi
10	Hindi		Hindi
11	History	English	Hindi
12	Home science	English	Hindi
13	Law	English	Hindi
14	Library and Information Science	English	Hindi
15	Life Sciences	English	
16	Management	English	Hindi
17	Marathi	Marathi	
18	Mathematical Sciences	English	
19	Music	English	Hindi
20	Performing Arts (Dance, Drama, Theatre)	English	Hindi
21	Philosophy	English	Hindi
22	Physical Education	English	Hindi
23	Physical Sciences	English	
24	Political science	English	Hindi
25	Psychology	English	Hindi
26	Sanskrit	Sanskrit	
27	Sanskrit Traditional Subjects	Sanskrit	

28	Sociology	English	Hindi
29	Urdu	Urdu	
30	Visual Arts	English	Hindi
31	Yoga	English	Hindi

उक्त विषय के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in तथा यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. की वेबसाइट <https://www.ugcnetonline.in/syllabus-new.php> एवं <https://csirhrdg.res.in/Home/Index/1/Default/2666/78> पर उपलब्ध हैं।

O. परीक्षा परिणाम की घोषणा

1. परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति/नियम के अनुसार (मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट के 87 प्रतिशत का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, शेष 13 प्रतिशत स्लॉट को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रकरण के अंतिम न्यायालयीन निर्णय पश्चात् घोषित किया जाएगा।
2. परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति/नियम (मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप निर्धारित की जाएगी—

प्रथम चरण— सर्वप्रथम समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप में निर्धारित की जाएगी।

द्वितीय चरण— द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 06 प्रतिशत के प्राप्त कुल अर्ह संख्या (स्लॉट) को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार (मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार अर्ह संख्या (स्लॉट) आवंटित कर दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत श्रेणियों हेतु आरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में महिला प्रवर्ग हेतु हॉरिजॉन्टली 35 प्रतिशत आरक्षण होगा। दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजन के प्रवर्ग में दिव्यांगजन की श्रेणी अनुसार में कुल हॉरिजॉन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा।

तृतीय चरण— प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर अर्हता संख्या (स्लॉट) ज्ञात की जाएगी—

क्र.	श्रेणी	(प्रथम एवं द्वितीय) दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं ई.डब्ल्यू.एस.	40%
2.	आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन	35%

चतुर्थ चरण— विषयवार एवं वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जाएगा—

विषय के उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली है

_____ X उस श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हता संख्या (स्लॉट)

उस श्रेणी के समस्त विषयों के न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या

(a) यदि अर्हता संख्या (स्लॉट) निर्धारण में प्रतिशत दशमलव में प्राप्त होता है तो —



(अ) यदि अर्हता प्रतिशत 1 से कम तथा दशमलव में हो तो उसे एक माना जाएगा।

(ब) यदि अर्हता प्रतिशत 1 से अधिक हो तो उसे समीपस्थ पूर्णांक प्रतिशत में समायोजित किया जाएगा।

(b) विषयवार श्रेणियों एवं वर्गों में स्लॉट विभाजन की गणना के प्रतिशत में परिणाम दशमलव में प्राप्त होने पर 0.5 के पूर्व दशमलव अंकों को पूर्ववर्ती पूर्णांक में तथा 0.5 एवं उससे अधिक होने पर अपने पश्चातवर्ती पूर्णांक में समायोजित किया जाएगा।

3. परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात् किसी प्रकार की अनुपूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है।
4. परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ को परीक्षा परिणाम में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
5. यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को पात्रता ई-प्रमाण-पत्र (Electronic Certificate) नहीं दिया जाएगा।

P. प्रश्न-पत्र के संदर्भ में आपत्ति आमंत्रण

परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 05 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात या किसी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150/-रुपए (Non Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
2. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, को विषय-विशेषज्ञों की अनुशंसा उपरान्त सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्न-पत्र से विलोपित किया जाएगा।
4. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर-कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय-विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करते हुए, जारी की गई अंतिम उत्तर-कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तर का मूल्यांकन कर, परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

Q. पात्रता प्रमाण पत्र

1. UGC की प्रक्रिया के अनुरूप आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र के समय दी गई जानकारी के आधार पर केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण-पत्र ही जारी करेगा।
2. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिनांक तक अर्ह शैक्षणिक योग्यता अर्जित नहीं की है एवं राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें Provisional Electronic Certificate जारी किया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में अपेक्षित प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होने से पश्चात् ही मान्य होगा।